प्रेस नोट संख्या-17
दिनांक 14.10.2025
सराहनीय कार्य थाना बाजारशुक्ल
अवैध पटाखा बिक्री व भण्डारण करने वाले कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 07 गत्तों में फुलझरी,रोलकैप व अनार आदि भारी मात्रा में अवैध पटाखे (अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपये)बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में,क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आगामी त्यौहार दीपावली के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण, बिक्री एवं परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.10.2025 को थाना बाजारशुक्ल पुलिस देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग हेतु क्षेत्र में मौजूद थी तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 01 व्यक्ति बेंचने हेतु पटाखे लेकर आया है व पटाखे लिये रामलीला मैदान के पास खड़ा है । उक्त सूचना पर तत्काल मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर अवैध रूप से पटाखा लिये हुये अभियुक्त रूपेश गुप्ता पुत्र जयशंकर गुप्ता निवासी कस्बा व थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 28 वर्ष को 23 डिब्बा फुलझरी, 70 पैकेट ज्वाला फुलझरी, 45 ताज कंपनी फुलझरी, 08 पैकेट वरा जिनल, 28 पैकेट छोटी फुलझरी, 06 माचिस आधी तूफान, 05 डिब्बा रोल कैप, 14 पैकेट छोटी फुलझरी, 11 पैकेट मीडियम फुलझरी, 04 पैकेट चुटपुट, 07 पैकेट रोल कैप पटाखों के साथ गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिली कि गिरधारी होटल के पास 01 व्यक्ति पटाखे लिये खड़ा है । उक्त सूचना पर तत्काल मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर अवैध रूप से पटाखा लिये हुये अभियुक्त कमल गुप्ता पुत्र रामगोपाल गुप्ता निवासी कस्बा व थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी को मीडियम फुलझरी 8 डब्बी, अनार 05 डब्बा, छोटी फुलझरी 25 डिब्बी, सांप 06 पैकेट, सांप 09 डिब्बा, छोटी फुलझरी 08 पैकेट पटाखों के साथ गिरफ्तार किया गया । पटाखा बिक्री करने का लाइसेंस मांगने पर दिखा न सके। थाना बाजारशुक्ल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. रूपेश गुप्ता पुत्र जयशंकर गुप्ता निवासी कस्बा व थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 28 वर्ष। (मु0अ0सं0 287/25)
2. कमल गुप्ता पुत्र रामगोपाल गुप्ता जयशंकर गुप्ता निवासी कस्बा व थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।(मु0अ0सं0 288/25)

बरामदगी-

- कुल 04 गत्तों में 23 डिब्बा फुलझरी , 70 पैकेट ज्वाला फुलझरी, 45 ताज कंपनी फुलझरी, 08 पैकेट वरा जिनल, 28 पैकेट छोटी फुलझरी, 06 माचिस आधी तूफान, 05 डिब्बा रोल कैप, 14 पैकेट छोटी फुलझरी, 11 पैकेट मीडियम फुलझरी, 04 पैकेट चुटपुट, 07 पैकेट रोल कैप ।

- कुल 03 गत्तों में मीडियम फुलझरी 8 डब्बी, अनार 05 डब्बा, छोटी फुलझरी 25 डिब्बी, सांप 06 पैकेट, सांप 09 डिब्बा, छोटी फुलझरी 08 पैकेट।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 287/25 धारा5/9B विस्फोटक पदार्थ थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
- मु0अ0सं0 288/25 धारा5/9B विस्फोटक पदार्थ थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अभिनेष कुमार थानाध्यक्ष बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 साबिर अली थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 सत्य प्रकाश तिवारी थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
4. हे0का0 राजेश मौर्या थाना बाजारशुक्लजनपद अमेठी।
5. का0 राजबहादुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
6. का0 संदीप कुमार थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
7. का0 जंगबहादुर यादव थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।